सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 16/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2018/00032

अनवान

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता स्व0 श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्री हमीर सिंह पिता स्व0 श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. श्री दुल्हे सिंह पिता स्व0 श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
4. श्री राम सिंह पिता स्व0 श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
5. श्री नाथु सिंह पिता स्व0 श्री गरवर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
6. श्री जवान सिंह पिता श्री हम्मेर सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
7. श्री दुजान सिंह पिता धुल सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
8. श्री रणजीत सिंह पिता दुजान सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
9. श्री फतह सिंह पिता श्री ज्ञान सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
10. श्री माधु सिंह पिता तेज सिंह राजपूत, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
11. श्री हीरालाल पिता पदम जी सुथार, निवासी प्रेम नगर, रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बहादुर सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत, निवासी रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती भमु कुंवर पत्नि बहादुर सिंह राजपूत, निवासी रून्देला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. सुश्री प्रमोदिनी बक्षी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक 31-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर के काश्तकार होकर स्थाई निवासी है एवं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। दिनांक 22.11.2005 को आवंटन सलाहकार समिति, सलुम्बर द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमंशः श्री बहादुर सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत व श्रीमती भमु कुंवर पत्नि बहादुर सिंह राजपूत के पक्ष में गांव रून्देला, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2678 मी. रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसमें आवंटन नियम 5, 6 व 7 की पालना नही की गयी, ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूचि भी तैयार नही की गयी एवं न ही प्रोक्लेमेशन जारी किया गया। उक्त आवंटन नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है एवं आवंटन नियमों के नियम 14 (2) के अनुसार आवंटीगण को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि एवं शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करना अनिवार्य है, किन्तु आवंटीगण द्वारा आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना भी नही की गयी है। कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में भी मौताबिरान् के समक्ष कब्जा नही दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजी संख्या 2678 मी. पर प्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन का पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से बाड बनी होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं पशुओं को बांधने का टापरा बना होकर प्रार्थीगण काबिज है। विपक्षीगण के पास 15 बीघा से अधिक भूमि होने से वह भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नही आता है। दिनांक 08.09.2010 को उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा निर्देशानुसार प्रार्थीगण की शिकायत के आधार पर बनाये गये मौका पर्चा रिपोर्ट में भी विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार विपक्षीगण के पक्ष में किया उक्त कथित आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि मामले में प्रार्थीगण हितबद्ध व्यक्ति न होने से उन्हे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण काश्तकार न होकर व्यापारी है। विपक्षीगण को उक्त आवंटन वर्ष 2005 में हुआ है एवं यह प्रार्थना पत्र जानबूझकर लम्बे समय पश्चात पेश किया गया है। विपक्षीगण उक्त

भूमि का रेकर्डेड काश्तकार है। विपक्षीगण को आवंटन सलाहकर समिति की पूर्ण राय के आधार पर उक्त आवंटन किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा आवंटन योग्य भूमि की सूची बनाकर पेश की गयी एवं उसी के अनुसार उद्घोषणा पत्र जारी हो आवंटन कमेटी की राय पर दिनांक 22.11.2005 को आवंटन जारी किया गया है एवं आवंटन उपरान्त विपक्षीगण को मौतबिरान की उपस्थिति में कब्जा दिया गया है। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा कभी नही रहा है। आवंटन उपरान्त विपक्षीगण को मौतबिरान की उपस्थिति में कब्जा दिया गया है। विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा कभी नही रहा है एवं कानूनन भी ट्रेसपासर कब्जे की परिभाषा में नही आता है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा विपक्षी के पास जो भी जमीन है वह संयुक्त रूप से हो मौरूसी है, जिसमें उसके तीन पुत्रों का भी बराबर हिस्सा है। विपक्षीगण का न तो 15 बीघा जमीन पर कब्जा है और न ही उसके खाते में 15 बीघा से अधिक भूमि मौजूद है। आवंटन उपरान्त नियमानुसार आवंटीगण द्वारा भूमि काश्त की गयी है। इस प्रकार आवंटन अधिकारी द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवंटन नियमानुसार एवं विधिनुकुल होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा हाना ही न्यायालय को अवगत कराया है। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर की आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन में मिसरिप्रजेन्टेशन होना, आवंटन में नियम 5, 6 व 7 की अवहेलना होना एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटन में आवंटी द्वारा पूर्व से उपलब्ध भूमि की जानकारी को छुपाया जाना, आवंटन कमेटी द्वारा तथ्यों की जॉच न करना, आवंटन पत्रावली पर कमेटी के कोरम पर सदस्यों के हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित न होना, आवंटीगण के पास धारा 91 के नोटिस न होना, प्रार्थीगण का 40 वर्ष पुराना कब्जा होना, पूर्व में विवाद होने पर तहसीलदार द्वारा बनाई गयी रिपोर्ट प्रार्थीगण के पक्ष की होना आदि आधारों पर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि मामले में जारी की गयी मौका रिपोर्ट की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी और न ही आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को थी। विपक्षीगण आवंटित भूमि से दूर रहते है एवं विवाद करने पर पूर्व में इनके विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। विपक्षीगण द्वारा कराया गया आवंटन फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य पाया जाता है। प्रार्थीगण

के अधिवक्ता द्वारा मौके के फोटो मय कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की प्रति पेश करते हुये अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.टी. 2016 (2) पृष्ठ 1295
- आर.आर.टी. 2015 (2) पृष्ठ 790
- आर.आर.टी. 2014 (2) पृष्ठ 797
- आर.आर.टी. 2011–12 (SUPP) पृष्ठ 99
- आर.आर.टी. 2012 (1) पृष्ठ 483

विपक्षी के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षीगण का पुराना कब्जा होना, आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया, विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि विपक्षीगण को किये गये आवंटन में आवंटन कमेटी के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद है। प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर आवंटन से पूर्व कब्जा होने की पुष्टि स्वरूप कोई धारा 91 के नोटिस या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि उन्हे ध्यान में डाले बिना ही मौके की रिपोर्ट एकतरफा मंगवा ली गयी है, किन्तु इस न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उपरान्त ही प्रथम पेशी पर मंगवा ली गयी थी, जबकि विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र भी बाद में पेश किया गया है। जिन्स गिरदावरी रिपोर्ट भी विपक्षीगण मे पक्ष में है प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बार बार प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 श्री लक्ष्मण सिंह पिता गरवर सिंह का कब्जा विवादित आराजीयात पर बताया जा रहा है, किन्तु प्रार्थी संख्या 2 से 11 को अनावश्यक रूप से प्रार्थी की तरफ से पक्षकार बनाया गया है। मात्र कब्जे के आधार पर कोई आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा भिजवाई गयी मौका रिपोर्ट पर स्वयं प्रार्थीगण के हस्ताक्षर मौजूद है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन नियमानुसार होने से निरस्त नही किया जा सकता। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर सव्यय खारिज किया जावे एवं विपक्षीगण के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को यथावत रखा जावे। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

- आर.बी.जे. 2009 पृष्ठ 201
- आर.आर.टी. 2003 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी 2001 (1) पृष्ठ 383
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1194
- आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 157
- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1220
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 270

- आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ 258
- आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 454, 125
- आर.बी.जे. 1995 (2) पृष्ठ 733
- आर.बी.जे. 2009 (16) पृष्ठ 112
- आर.आर.टी. 2006 (2) पृष्ठ 1171
- आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 642
- आर.आर.डी 1992 पृष्ठ 26
- आर.आर.टी 2018 (2) पृष्ठ 1006

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति से यह ज्ञात होता है कि आवंटी श्री बहादुर सिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत व श्रीमती भमु कुंवर पत्नि श्री बहादुर सिंह राजपूत द्वारा मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 2678 मी. रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर उनका 40 वर्ष पुराना कब्जा होना अवश्य बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेज उनके द्वारा पेश नही किया गया है। यदि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होता तो उनके पास अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद होते। प्रार्थीगण उनके अधिवक्ता ऐसा कोई दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि आवंटन कमेटी के कोरम पर मात्र सरपंच की मोहर लगी हुयी है, शेष किसी भी सदस्य की मोहर न होने से उनके हस्ताक्षर को प्रमाणित नही माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त पत्रावली एक राजकीय दस्तावेज है जिस पर किये जाने वाले किसी भी हस्ताक्षर को प्रथम दृष्टया गलत नही माना जा सकता है। यदि कोई हस्ताक्षर गलत है तो इसके प्रमाण स्वरूप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता का दायित्व है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट प्रार्थीगण की जानकारी में न होना एवं विपक्षीगण द्वारा मिलीभगत से बनवाया जाना न्यायालय को अवगत कराया है, किन्तु पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन करने पर यह ध्यान में आता है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम दायर दिनांक को ही मौका रिपोर्ट एवं आवंटन पत्रावली बाबत् सम्बन्धित अधिकारीयों को लिख दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त तथ्य को जानकारी न हो यह नही माना जा सकता। जिन्स

गिरदावरी एवं पत्रावली के अवलोकन उपरान्त ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या आवंटन शर्तो की पालना नही हुयी हो। चूकिं उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त ही देय होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जाने चाहिये। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है। इस प्रकार आवंटन बहाल रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा रून्देला, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 2678 मी. रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर अधिकारी द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में दिनांक 22.11.2005 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर